

सर्व सम्बंधित

सलग्न सूची के अनुसार

शुद्धि पत्र

विषय:- कर्मचारी कल्याण निधि उ.रे. के लखनऊ मंडल में संविदा के आधार पर (अंशकालिक, मानदेय आधारित) अनारक्षित आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक व्यवसायी/चिकित्सकों का लगाया जाना जिनमें अ.जा./अ.ज.जा. /पिछडा वर्ग के आवेदक भी आवेदन कर सकेंगे।

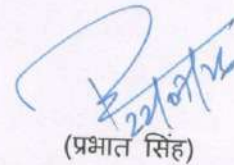
उपरोक्त संदर्भ में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक दिनांक 03.07.26 को अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों के डिग्री के लिए S no -02 में अथवा अंकित होना चाहिए था लेकिन त्रुटिवश एवं अंकित हो गया था जिसको सही करके अथवा कर दिया गया है जिसको अथवा ही माना जाये।

आयुर्वेदिक चिकित्सक	होम्योपैथिक चिकित्सक
1- आवेदक के पास इंडियन मेडिसिन सेंट्रल एक्ट 1970 धारा 48 के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / राज्य विधिक बोर्ड/काउंसिल/फैकल्टी का चार वर्षीय डिग्री/डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा।	1- आवेदक के पास इंडियन मेडिसिन सेंट्रल एक्ट 1970 की धारा 48 के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / राज्य विधिक बोर्ड / काउंसिल / फैकल्टी की बी.एम. एस की डिग्री (होम्योपैथी) / DHM/DHS/DMS होम्योपैथी /BMBS/04 वर्षीय MHMS या GSMS की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही इंटर्नशिप भी पूर्ण होनी चाहिए।
2- सेंट्रल रजिस्टर आफ इंडियन मेडिसिन अथवा स्टेट रजिस्टर आफ इंडियन मेडिसिन में नामांकन।	2- सेंट्रल रजिस्टर आफ इंडियन मेडिसिन अथवा स्टेट रजिस्टर आफ इंडियन मेडिसिन में नामांकन।
3- आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं उपचार के क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव आवश्यक है(E(W)89/WE115dated 03.10.1989 (RBE No.250/89)	3. डिप्लोमा धारको के पास कम से कम 1.5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए (E(W)2012/PNM/NFIR/5 dated 24.01.2014 (RBE No.13/2014)

आगे की सूचना यथावत रहेगी।

प्रतिलिपि

1. DRM महोदय को सूचनार्थ।
2. ADRM I & II OR ADRM/BSB को सूचनार्थ।
3. Divl. Secy NRMU & URMU को सूचनार्थ।
4. Divl Secy. AIOBCA & AISCSTA&OBC को सूचनार्थ।



(प्रभात सिंह)

मंडल कार्मिक अधिकारी

उत्तर रेलवे, लखनऊ